

23/1/24 पत्रावली के अन्तर्गत वकील प्रार्थी व प्रार्थी को
आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने
के बावजूद भी वकील प्रार्थी व प्रार्थी न्यायालय
में हाजिर नहीं होना पर प्रार्थी के अधिवक्ता
द्वारा 24/1 को अहम हाजरी अहम परवीम
खारिज किया जाना है। पत्रावली के संलग्न
द्वारा समस्त विवरण हाजिरा एफिल है।

